न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 97/2025 अपील (GCMS 2025/97)
पंजीयन दिनांक- 07/05/2025
निर्णय दिनांक- 15/07/2025

1. श्री मदनलाल पिता स्व. मोहनलाल टांक, निवासी गोकुल आर. टी. डी. सी. के पास, बिजलाई रोड़ नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता स्व. मोहनलाल टांक, निवासी सिंहाड, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री खेमराज डांगी - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद के
प्ररकण संख्या 2023/203 निर्णय दिनांक 21.04.2025

निर्णय

दिनांक 15/07/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 2023/203 निर्णय दिनांक 21.04.2025 के विरूद्ध दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद के यहां एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाथद्वारा, जिला राजसमंद में रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी संख्या 4327/3260 रकबा 0.1421 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1666 से बनी है। साबिक आराजी संख्या 1666 रकबा 1-15 बीघा था, जो रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र व अपीलांट मदनलाल के पिता स्व. मोहनलाल कलाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु पश्चात् विभाजन से रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र को आराजी संख्या 3260/1666 फर्द बंटवाडा अनुसार प्राप्त हुई, जिसके नये नम्बर 4327/3260 बने है। रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र को प्राप्त कृषि आराजीयात विभाजन डिक्री अनुसार संलग्न ट्रेस आराजी संख्या 1666/2 होकर जिसके आराजी संख्या 3260/1666 बने और वर्तमान में उक्त आराजी संख्या 4327/3260 है। उक्त फर्द बंटवारा ट्रेस अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों को अंकन करना था। न्यायालय विभाजन आदेशानुसार फर्द बंटवाडा के साथ संलग्न ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों को किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था, परंतु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी का अंकन अशुद्ध कर दिया गया, जिसको रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र शुद्ध कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र बंटवारानामा में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ही अपने हिस्से की भूमि का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त अशुद्ध नक्शा ट्रेस की आड में अपीलांट मदनलाल जरबन रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र के हक व हिस्से की भूमि को हथिया कर उस पर निर्माण करने पर आमादा है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 2023/203 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 21.04.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट मदनलाल द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः- *"उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नाथद्वारा, पटवार हल्का नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद में*

प्रार्थी के स्वामित्व, आाधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी संख्या 4327/3260 रकबा 0.1421 हैक्टेयर के नक्शा ट्रेस को विपक्षी संख्या 02 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पूर्व हुए विधिवत विभाजन के विभाजन फहरिस्त के साथ संलग्न नक्शा अनुसार शुद्ध कर सही अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार, नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। "

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 10.07.2025 को सुनी गई तथा अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि सन् 2023 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 01.08.2023 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण की सीमा में नही होकर विवादित है एवं पक्षकारों के बीच वाद में तय करना शेष है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा उभयपक्षों के मध्य जारी होते हुए भी उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर शुद्धि बाबत प्रार्थना स्वीकार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रभावित पक्षकार जो विभाजन के समय सहखातेदार है, को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अपीलांट द्वारा पक्षकार बनाने बाबत आपत्ति पेश करने पर भी अपीलांट की उक्त आपत्ति आदेशिका दिनांक 18.12.2024 को अस्वीकार कर दी। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जिसके विरूद्ध अनुतोष चाहा है, उसे पक्षकार बनाया जाना व सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में मूल वाद व प्रार्थना पत्र में मंगाई गई कमिश्नर रिपोर्ट को आधार मान नक्शें

में परिवर्तन करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति पूर्व में ही दर्ज है, जिसका निस्तारण मूल वाद में होना है एवं अन्य रिपोर्ट जिस पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है, न ही पक्षकारों को सूचना देकर बनाई गई है। कमिश्नर रिपोर्ट के अंत में अपीलांट मदनलाल द्वारा स्पष्ट आपत्ति की गई है, कि कलम नम्बर 4, 5 व 6 में अंकित तथ्यों से में सहमत नहीं हूं। उक्त प्रकरण में कब्जे के संबंध में जो रिपोर्ट आई है, उसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज की गई है। मौके की रिपोर्ट अनुसार दक्षिण दिशा की ही नपती की गई है और दक्षिण दिशा की लम्बाई को देखते हुए नक्शे को दुरूस्त करने का आदेश दिया है, जो भी उचित नहीं है। नक्शा दुरूस्त करने हेतु चारों दिशाओं की नपती करना आवश्यक है। एक विवाद पक्षकरों के मध्य नियमित वाद के जरिये न्यायालय में उठाया गया है तथा यह वाद रेस्पोडेंट प्रकाशचन्द्र ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, नाथद्वारा में तारीख 25.06.2018 को प्रस्तुत किया जाकर विचारधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 101/2018 है। कानूनी प्रावधान अनुसार नियमित वाद के विचाराधीन होते हुए धारा 136 व नामांतरकरण जैसी समरी कार्यवाही नहीं चल सकती है और यदि ऐसी कार्यवाही किसी ने कर दी है, तो उसे नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित कर देना चाहिए। इस प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनिय है कि अपीलांट के हिस्से में आने वाली भूमि का सन् 2003 में आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण हो चुका है, ऐसी अवस्था में आवासीय भूमि के संबंध में नक्शा दुरूस्ती का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था। धारा 17 जाप्ता दीवानी के प्रावधान के अनुसार रेस्पोडेंट को जो भी दाद चाहिए थी, अपने वाद पत्र तारीख 25.06.2018 में ही मांगनी चाहिए व इस वाद के बाद 136 की कार्यवाही अलग से मेंटिनेबल नहीं है, दावे में जो निर्णय दिया जावेगा, उसी अनुसार पालना होगी। विभाजन का वाद पक्षकारों के आधिपत्य, मौके के आधार पर स्वीकार किया गया, उसी अनुसार विभाजन किया गया एवं विभाजन व एग्रीकेशन के नक्शें में किसी प्रकार की लाईनें टेढ़ी नहीं है व क्षेत्रफल खाते अनुसार होते हुए भी शुद्धिकरण का प्रार्थना पत्र बिना आधार के स्वीकार किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2006 (1) Page 474, RBJ 1999 (6) Page 481,

RBJ 2006 (13) Page 367, RRD 1985 (2) Page 170, RRT 2024 (2) Page 1285, RRT 2018 (1) Page 101 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस पेश कर बताया कि इस मामले में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र लाई होता है, नक्शें में दुरूस्ती का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को होता है, जैसा कि लैण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के रूल नम्बर 369 से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी ने बंटवाडा फहरिस्त अनुसार हाल नक्शें को दुरूस्त कर वही नक्शा बनाये जाने का आदेश दिया, जो बिल्कुल उचित है। बंटवाडे में जो फहरिस्त के साथ नक्शा बनाया गया था वही नक्शा नामांतरकरण पर चस्पा किया, उसी अनुसार प्रार्थी के नक्शें में भी दुरूस्त कर वही इन्द्राजात किया जाना आवश्यक है तथा ये विवाद केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपीलांट के मध्य ही है, इसी कारण जमनालाल इसमें आवश्यक पक्षकार नहीं है। उसे पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जमानालाल को पक्षकार बनाये बिना जो आदेश दिया गया है, वह उचित है। प्रकरण में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 की मौके पर भूमि 33.50 मीट है तथा नक्शें में 30 मीटर है, जबकि फहरिस्त बंटवाडा के नक्शें के अनुसार तथा नामांतरकरण पर चस्पा किये गये नक्शे के अनुसार प्रकाशचन्द्र की उक्त भूमि दक्षिण की तरफ की चौडाई 39 मीटर होनी चाहिए, जबकि हाल नक्शें अनुसार केवल 30 मीटर ही होती है, जबकि 9 मीटर चौडाई की दुरूस्ती की जाना आवश्यक है, जमनालाल की भूमि के सामने भी रोड़ है तथा मदनलाल की भूमि के सामने भी रोड़ है तथा प्रकाशचन्द्र की भूमि के नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती के बाद उसे 20 फिट के करीब रोड़ मिलती है तथा बकाया भूमि के सामने अन्य खातेदारों की भूमि है। अपीलांट का यह कथन कि उसकी ज्यादा भूमि आबादी में कन्वर्ट हो चुकी है इस कारण नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की तो समस्त भूमि कृषि भूमि है तथा अगर आबदी भूमि होती तो भी गलत इन्द्राज होने पर उसे दुरूस्ती का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रार्थी की समस्त भूमि आबादी भूमि है तथा रेस्पोडेंट की जिस भूमि का रूपांतरण होना बताते हैं, वह पुराने हिस्से के

अनुसार ही रूपांतरण हुआ है, जिसकी पूर्वी व पश्चिमी सीमा टेढ़ी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी भी टेढ़ी सीमाओं के अनुसार ही यानि नक्शें फहरिस्त बंटवाडा के अनुसार ही शुद्धि कराना चाहता है। जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर नक्शें में दुरूस्ती का आदेश दिया गया, वह उचित है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2018 (2) Page 1158, RRT 2018 (1) Page 194, & RRT 2019 (2) Page 1198 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा दिनांक 21.04.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद के यहां एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाथद्वारा, जिला राजसमंद में रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी संख्या 4327/3260 रकबा 0.1421 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1666 से बनी है। साबिक आराजी संख्या 1666 रकबा 1-15 बीघा था, जो रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र व अपीलांट मदनलाल के पिता स्व. मोहनलाल कलाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु पश्चात् विभाजन से रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र को आराजी संख्या 3260/1666 फर्द बंटवाडा अनुसार प्राप्त हुई, जिसके नये नम्बर 4327/3260 है। रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र को प्राप्त कृषि आराजीयात विभाजन डिक्री

अनुसार संलग्न ट्रेस आराजी संख्या 1666/2 होकर जिसके आराजी संख्या 3260/1666 बने और वर्तमान में उक्त आराजी संख्या 4327/3260 है। उक्त फर्द बंटवारा ट्रेस अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों को अंकन करना था। न्यायालय विभाजन आदेशानुसार फर्द बंटवाडा के साथ संलग्न ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों को किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था, परंतु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी का अंकन अशुद्ध कर दिया गया, जिसको रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र शुद्ध कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र बंटवारानामा में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ही अपने हिस्से की भूमि का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त अशुद्ध नक्शा ट्रेस की आड में अपीलांट मदनलाल जरबन रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र के हक व हिस्से की भूमि को हथिया कर उस पर निर्माण करने पर आमादा है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 2023/203 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 21.04.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रकाशचन्द्र का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट मदनलाल द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा प्रकरण में उनके पत्रांक दिनांक 05.07.2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रकरण में वर्णित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1666 है, जिसमें बंटवाडा होने से नवीन आराजी नम्बर 3260/1666, 3258/1666 एवं 3259/1666 बने, आराजी नम्बर 3260/1666 श्री प्रकाशचन्द्र पिता मोहनलाल के नाम दर्ज हुआ। आराजी नम्बर 3258/1666 श्री मदनलाल पिता मोहनलाल के नाम दर्ज हुआ। आराजी नम्बर 3259/1666 श्री जमनालाल पिता मोहनलाल के नाम दर्ज हुआ। आराजी नम्बर 3260/1666 का विक्रय एवं बंटवाडा होने से श्री प्रकाशचन्द्र के नाम नवीन आराजी बने जिसके नम्बर 4327/3260 है। आराजी नम्बर 4327/3260 की मौके से नपती कि गई, आराजी के दक्षिणी दिशा हॉस्पिटल रोड़ की तरफ पाली की 33.50 मीटर कुल चौडाई मौके पर है, जबकि नक्शें में उक्त आराजी की चौडाई 30 मीटर बनती है। नामांतरकरण संख्या 721 से साबिक आराजी

संख्या 1666 का विभाजन हुआ, नामांतरकरण पर चस्पा ट्रेस में आराजी नम्बर 4327/3260 की दक्षिण दिशा की चौडाई 39 मीटर है। इस प्रकार तहसीलदार, नाथद्वारा की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 4327/3260 का मौके एवं नक्शा ट्रेस में अंतर होकर अशुद्धि होना प्रमाणित है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का प्रमुख उज्र यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार जो विभाजन के समय सहखातेदार है, को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा इस बाबत प्रस्तुत आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आक्षेप का न्यायालय हाजा द्वारा परिक्षण किया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान हुई अशुद्धि को शुद्ध कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया गया, जिसमें सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना प्रकरण की परिस्थितियों के मध्येनजर प्रथमदृष्टया वर्णित नक्शा ट्रेस का विवाद अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य होना प्रकट होता है, जिसमें अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति को आदेशिका दिनांक 18.12.2024 से खारिज किया गया है, जो उचित प्रतीत होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आक्षेप निराधार होकर स्वीकार्य योग्य नहीं है तथा अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में

यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2025 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.04.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर